संख्या 41/26/2010–पी.एंड पी.डब्ल्यू (ई)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरी तल, लोकनायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली,
दिनांकः 25 जून, 2013

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषयः 20 वर्ष की सेवा के उपरांत अधिवर्षिता से इत्तर 1986 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए अंशदायी भविष्य निधि कर्मचारियों को अनुग्रह राशि की मंजूरी के संबंध में।

इस विभाग के दिनांक 22.03.2004 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 45/52/97–पी एंड पी डब्ल्यू (ई) में यह स्पष्ट किया गया था कि दिनांक 16.12.1997 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 45/52/97–पी एंड पी डब्ल्यू (ई) की शर्तों के अनुसार अंशदायी भविष्य निधि लाभार्थियों के निम्नलिखित वर्ग अनुग्रह राशि पाने के हकदार नहीं होंगेः–

(क) जो सेवा से बर्खास्त कर दिए गए या हटा दिए गए थे,
(ख) जिन्होंने सेवा से त्याग पत्र दे दिया था, और
(ग) जो अधिवर्षिता के लिए निर्धारित आयु पूर्ण करने से इत्तर सेवानिवृत्त हुए।

2. इस मामले की समीक्षा की गई है। अब, दिनांक 22.03.2004 के कार्यालय ज्ञापन से उपर्युक्त अनुच्छेद (ग) को हटाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, सभी सीपीएफ लाभार्थी जो 20 वर्षों की निरंतर सेवा के उपरांत स्वेच्छया या चिकित्सीय रूप से अशक्त होने के कारण 01.01.1986 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे, वे भी दिनांक 16.12.1997 के कार्यालय ज्ञापन की शर्तों के अनुसार अनुग्रह राशि का भुगतान पाने के हकदार होंगे। दिनांक 16.12.1997 के कार्यालय ज्ञापन में दी गई अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

3. इसे वित मंत्रालय, व्यय विभाग की सहमति से उनके दिनांक 24.06.2013 के आई डी 563/ई.वी./2013 के तहत जारी किया जाता है।

सु. चौधुरी

(सुजाशा चौधुरी)
उपसचिव, भारत सरकार
दूरभाषः 24635979

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग
2. विभाग में उपलब्ध सूची में शामिल सभी पेंशनभोगी संघ
3. रेल मंत्रालय (एस आर पी एफ लाभार्थियों के लिए आदेश जारी करने हेतु)